छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)
Kalyanpur, Kanpur-208024
कल्यानपुर, कानपुर–208024

परीक्षा समिति की 12वीं बैठक दिन बुधवार, दिनांकः 08.02.2023
कार्यवृत्त

आज दिनांक 08.02.2023, दिन बुधवार को अपराह्न 04:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

क्र.सं.	नाम	पद
1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य/प्रति कुलपति, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, डीन साइंस, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
4.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो. सुधान्शु पाण्ड्या, डीन, प्रशासन, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो. अंशु यादव, आचार्य, आई.बी.एम., विभाग,सी.एस.जे.एम.वि0वि0, कानपुर।	सदस्या
7.	प्रो0(श्रीमती) रोली शर्मा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्या
8.	प्रो0 विवेक कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
9.	डा0 मृदुलेश सिंह, एसो0 प्रोफेसर, आई.बी.एम, विभाग सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 प्रभात द्विवेदी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेज़मेन्ट, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
11.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
13.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
14.	डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	पदेनसचिव
15.	डॉ0 रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	डॉ. आर.के. द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर ।	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये–

मद संख्या 2023.12.01

परीक्षा समिति की 10वीं बैठक दिनांक 30.11.2022 एवं 11वीं बैठक दिनांक 09.01.2023 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण/अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 10वीं बैठक दिनांक 30.11.2022 एवं 11वीं बैठक दिनांक 09.01.2023 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से सम्पुष्टिकरण किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.02

एन.ई.पी.–2022–23 परीक्षा की अवधि दो घण्टे की है, जिस सम्बन्ध में एन.ई.पी.2020/स्नातक/परास्नातक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु निर्गतीय निर्देशों यथा– पूर्णांक–50, पूर्णांक–75, पूर्णांक–80, पूर्णांक–100 के प्रश्नपत्रों के अंको के विभाजन के अनुमोदन पर विचार।

प्रश्नपत्रों के अंको के विभाजन का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./56/2023 दिनांक 17.01.2023 माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया :–

1. प्रश्नपत्र पूर्णाक : 50 के लिए :–

a) Attempt all questions in Section-A.
b) Attempt 01 question from Sections B & C both.

Section	Total Questions	Questions to be attempted	Marks per Question	Total Marks
A	06	06	05	30
B	04	Any 01 question	10	10
C	04	Any 01 question	10	10
			Total Marks	50

2. प्रश्नपत्र पूर्णाक : 75 के लिए :–

a) Attempt all questions in Section-A.
b) Attempt 01 question from Sections B & C both.

Section	Total Questions	Questions to be attempted	Marks per Question	Total Marks
A	09	09	05	45
B	04	Any 01 question	15	15
C	04	Any 01 question	15	15
			Total Marks	75

3. प्रश्नपत्र पूर्णाक : 80 के लिए :–

a) Attempt all questions in Section-A.
b) Attempt 01 question from Sections B & C both.

Section	Total Questions	Total Questions to be attempted	Marks per Question	Total Marks
A	08	08	06	48
B	04	Any 01 question	16	16
C	04	Any 01 question	16	16
			Total Marks	80

4. प्रश्नपत्र पूर्णाक : 100 के लिए :–

a) Attempt all questions in Section-A.
b) Attempt 01 question from Sections B & C both.

Section	Total Questions	Total Questions to be attempted	Marks per Question	Total Marks
A	10	10	06	60
B	04	Any 01 question	20	20
C	04	Any 01 question	20	20
			Total Marks	100

5. B.Sc. (Statistics, Mathematics, Physics)/B.B.A. प्रश्नपत्र पूर्णांक : 75 के लिए :–

a) Attempt 02-02 questions both from part A and B in section A.

b) Attempt 02-02 questions in Section B and C separately.

Section	Total Questions	Total Questions to be attempted	Marks per Question	Total Marks
A	09	04 (02 questions from each part is compulsory)	6.25	25
B	Total 04 questions (02 questions from part A Syllabus and 02 questions from part B Syllabus)	02 questions (01 question from part A Syllabus and 01 question from part B Syllabus)	12.5	25
C	Total 04 questions (02 questions from part A Syllabus and 02 questions from part B Syllabus)	02 questions (01 question from part A Syllabus and 01 question from part B Syllabus)	12.5	25
			Total Marks	75

निर्णय –

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रश्नपत्रों के अंको के विभाजन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./56/2023 दिनांक 17.01.2023 का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.03

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत तथा पूर्व से संचालित स्नातक एवं परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सत्र 2021–22 की संस्थागत, बैक पेपर एवं भूतपूर्व छात्र/छात्राओं की वार्षिक एवं सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणामोपरान्त छात्र/छात्राओं द्वारा स्क्रूटिनी/चुनौती मूल्यांकन के आवेदनोंपरान्त घोषित संशोधित परीक्षा परिणाम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.04

बी.बी.ए.–502(एन) परीक्षा 2022–23 के अंकों के सही करने के सम्बन्ध में (खण्ड–क) एवं M.Sc.(Microbiology) Q.P. No.L040701T के दिनांक 20.01.2023 त्रुटिवश अंक प्रिन्ट हुए, के सम्बन्ध में (खण्ड–ख) के अनुमोदन पर विचार।

बी.बी.ए.–पंचम सेमेस्टर के प्रश्नपत्र कोड बी.बी.ए.–502(एन) परीक्षा 2022–23 के प्रश्नपत्र में सेक्सन–ए के नोट में 6 प्रश्नों के स्थान पर 4 प्रश्न त्रुटिवश मुद्रित हो गया था, साथ ही सेक्सन–बी. एवं सी. में प्रश्नों के अंक 20 के स्थान पर 17 अंकित हो गये थे।

इसी प्रकार M.Sc.(Microbiology) के प्रथम सेमेस्टर के प्रश्नपत्र कोड L040701T के सेक्सन–बी. एवं सी. में प्रश्नों के अंक 15 के स्थान पर त्रुटिवश 10 अंकित हो गये थे, जिसे सुधारने हेतु परीक्षा केन्द्रों को सूचित कर दिया गया था। उक्त सुधार के अनुमोदन पर विचार हेतु माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.05

प्राश्निकों द्वारा तैयार कराये गये प्रश्नपत्रों के भुगतान से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.06

बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम की आगामी आयोजित होने वाली मुख्य/पूरक परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार।

प्राचार्य, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ के पत्रांक–EUMC /KU/024/22 दिनांक 24.12.2022 के द्वारा बी0ए0एम0एस0/बी0ए0एम0एस0 के कुछ छात्र/छात्राओं को कोविड–19 महामारी के दुष्प्रभाव व्यक्तिगत एवं अपरिहार्य कारणवश उचित प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसके कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये और उनके चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् छात्र को नियमित अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसी परिस्थिति में NCISM(CSIM) Regulation-2016 के ऐसे छात्रों को अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के अनुरोध के क्रम में सूच्य है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयूष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–BOA/Regulation/UG/ 7-10/2021 दिनांक 15.12.2021 "Therefore the commission considered this scenario, and decided that students admitted under 2016 regulation, who could not pass examinations as per specified number of maximum attempts and duration, three more chances over and above mercy chances shall be allowed" पर विचार हेतु माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय–

प्रस्तुत प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संदर्भित छात्र/छात्राओं को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.07

शेफाली अवस्थी अनुक्रमांक 0031040 एम0एड0 2018–20 के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2022 के आधार पर अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण करते हुये प्रमोशन पर विचार।

छात्रा शेफाली अवस्थी अनुक्रमांक 0031040 एम0एड0 2018–20 के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2019 में एम.एड. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया वर्ष 2020 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण रहीं। पुनः वर्ष 2021 में भूतपर्व छात्रा के रूप में परीक्षा दी जिसमें पुनः अनुत्तीर्ण रहीं। उक्त छात्रा द्वारा कोविड–19 एवं व्यक्तिगत समस्याओं के दृष्टिगत Compensatory promotion का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य सभी समान प्रकरणों का विचारोपरान्त एक प्राचार्य, कुलसचिव एवं निदेशक, महाविद्यालय विकास परिसर, छत्रपति शाहू जी महाराज वि.वि. की त्रिसदस्यीय समिति गठित कर ऑर्डिनेन्स एवं यू.जी.सी. के मानकों को दृष्टिगत त्रिसदस्यी समिति की आख्या को अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.08

छात्र विनय कृष्ण सिंह का चयन कानपुर ग्रुप से गणतंत्र दिवस शिविर–2023, नई दिल्ली में होने के कारण बी.एस–सी. प्रथम वर्ष 2022–23 की वार्षिक परीक्षा तिथियों में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र पर विचार।

59 यू0पी0 वाहिनी एन0सी0सी0 98–बी0, कैण्ट रोड, कानपुर के पत्रांक 315 / एन0सी0सी0 / प्रशिक्षण दिनांक 16 जनवरी, 2023 का पत्र जो प्राचार्य, वी0एस0एस0डी0 कॉलेज, कानपुर के छात्र **विनय कृष्ण सिंह का चयन** कानपुर ग्रुप से गणतंत्र दिवस शिविर–2023, नई दिल्ली में प्रतिभाग करने के लिए हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड–2023, नई दिल्ली में प्रतिभाग करने के पश्चात उक्त कैडेट माह जनवरी में होने वाली वार्षिक परीक्षा में उपस्थित न हो सकेगा। जिसके सम्बन्ध में बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष 2022–23 की जनवरी माह में होने वाली परीक्षा तिथियों में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि कैडेट वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा में प्रतिभाग कर सके, के प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में उचित निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर रहे ऐसे छात्र / छात्राओं को अगली सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने तथा सम्बधित सेमेस्टर की छूटी हुई परीक्षा आगामी उसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने तथा साथ ही अगले वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.09

प्रबंधक, चौधरी सुघर सिंह एजूकेशन एकैडमी, जसवन्त नगर, इटावा (EW47) के पत्र दिनांक 13.12.2022 के कम में एम0ए0 एजूकेशन द्वितीय वर्ष (सत्र 2021–22) का परीक्षाफल प्रतिशत परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्गत करने के माननीय कुलपति महोदय की अनुमति के कम में अनुमोदन पर विचार।

प्रबंधक, चौधरी सुघर सिंह एजूकेशन एकैडमी, जसवन्त नगर, इटावा (EW47) के पत्र दिनांक 13.12.2022 द्वारा अनुरोध किया गया है कि एम0ए0 एजूकेशन द्वितीय वर्ष (सत्र 2021–22) में 17 विद्यार्थी पंजीकृत में, कुल 17 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए और सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपसे अनुरोध है कि परीक्षाफल प्रतिशत परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्गत करने के माननीय कुलपति महोदय की अनुमति के कम में माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.10

सत्र 2022–23 की संस्थागत, बैक पेपर एवं भूतपूर्व छात्र / छात्राओं की सेमेस्टर की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों का केन्द्र व्यय रू0 47,81,985.00 के भुगतान के अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में एन. ई.पी.–2020 के अन्तर्गत तथा पूर्व से संचालित स्नातक एवं परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सत्र 2022–23 की संस्थागत, बैक पेपर एवं भूतपूर्व छात्र / छात्राओं की विषय सेमेस्टर तथा एल.एल.बी. / बी.ए.एल.एल.बी. की सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों का केन्द्र व्यय **रू0 47,81,985.00** (सैंतालिस लाख इक्यासी हजार नौ सौ पच्चासी) भुगतान हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरान्त माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.11

विगत सत्र 2021–22 में 15 डिज़िटल मूल्यांकन केन्द्रों के केन्द्र–व्यय कुल रू0 44,91,971.25 में से पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि रू0 13,94,500.00 के समायोजन पश्चात अवशेष धनराशि रू0 30,97,471.25 के भुगतान हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरान्त उक्त के अनुमोदन पर विचार।

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2023 को आहूत KUPA की बैठक डिज़िटल मूल्यांकन के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जून, 2022 में सम्पन्न हुयी परीक्षा में बनाये गये मूल्यांकन केन्द्रों को कैपिंग के आधार पर 25 पैसे की कटौती करते हुए प्रति उत्तरपुस्तिका रू0 3.75 की दर से भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी, जिसके कम में सिस्टम मैंनेज़र द्वारा उपलब्ध कराये गये डिज़िटल मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण के अनुसार कुल केन्द्र व्यय **रू0 44,91,971.25** में से पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि रू0 13,94,500.00 के समायोजन पश्चात अवशेष धनराशि **रू0 30,97,471.25** के भुगतान हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरान्त उक्त के अनुमोदनार्थ माननीय परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत।

साथ ही भविष्य में डिज़िटल मूल्यांकन केन्द्रों को भुगतान किये जाने की दर क्रमशः एक लाख उत्तरपुस्तिका तक **रू0 3.75** तथा एक लाख से ज्यादा के मूल्यांकन पर **रू0 3.50** की दर से भुगतान किये जाने की सहमति उक्त बैठक में प्रदान की गयी। सन्दर्भित निर्णय को माननीय परीक्षा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.12

वर्ष 2022 में सम्पन्न विभिन्न परीक्षाओं में महाविद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) में कार्यरत केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, आन्तरिक उड़नदस्ता, निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षकों इत्यादि के पारिश्रमिक पी.एम.यू. सेल द्वारा तैयार किये गये ऑन–लाइन पोर्टल एस.आई.एस. लॉगिन के माध्यम से शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2023 तक सब्मिट किये गये पारिश्रमिक के भुगतान हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरान्त उक्त के अनुमोदन पर विचार।

वर्ष 2022 में सम्पन्न विभिन्न परीक्षाओं में महाविद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) में कार्यरत केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, आन्तरिक उड़नदस्ता, निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षकों इत्यादि के पारिश्रमिक पी.एम.यू. सेल द्वारा तैयार किये गये ऑन–लाइन पोर्टल एस.आई.एस. लॉगिन के माध्यम से शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा समिति की 10वीं बैठक दिनांक 30.11.2022 से दिनांक 12 जनवरी, 2023 तक सब्मिट किये गये पारिश्रमिक लगभग **रू0 98,35,416.00** के भुगतान हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरान्त माननीय परीक्षा समिति समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.13

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एलोपैथ महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं की माह जुलाई/अगस्त 2022 में सम्पन्न हुई एम.बी.बी.एस. की परीक्षा के पुनर्मूल्याकंन के अनुमोदन पर विचार।

एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के सभी व्यावसायिक की परीक्षाओं की मूल उत्तर–पुस्तिकाओं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ से मूल्यांकित कराई गई थी, तत्पश्चात् उनका परीक्षा–परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया गया था, उक्त परीक्षा में अपने मूल अंको से असंतुष्ट छात्र/छात्राओं द्वारा पुनः मूल्याकंन हेतु महाविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय नियमानुसार आवेदन किया गया था। विश्वविद्यालय के पुनः मूल्यांकन के नियमानुसार उक्त उत्तर–पुस्तिकाओं को मूल परीक्षक द्वारा ही मूल्यांकित कराया जाता है।

अतः किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किया गया, किंतु कोर्डिनेटर द्वारा विभिन्न कारणवश पुर्नमूल्यांकन हेतु असमर्थता व्यक्त की गई, तदपश्चात् परीक्षा नियंत्रक कार्यालय टीप संख्या COE/356/2022 दिनांक 05.12.2022 द्वारा प्रति कुलपति जी को अवगत कराया गया एवं विलम्ब के कारणवश छात्रहित प्रभावित न हो इसके लिए पुर्नमूल्याकंन जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर से करा लिया गया है। आदेशानुसार किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ से भी पुनः सम्पर्क कर अनुरोध किया गया, जिस पर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के परीक्षको द्वारा सहमति प्रदान करते हुए मूल्यांकन कर दिया गया है, को माननीय परीक्षा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.14

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में एन.ई.पी.–2020 एवं पूर्व से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की दिनांक 20 जनवरी, 2023 से आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारिणी के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.15

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में एन.ई.पी.–2020 एवं पूर्व से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की दिनांक 20 जनवरी, 2023 से आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु नोडल सेण्टर एवं परीक्षा केन्द्रों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्थायी समिति (Standing Committee) समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.16

बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष–2021 में प्रश्नपत्रवार वर्ष–2022 के प्राप्तांकों से अधिक प्राप्तांकों के अनुसार वर्ष–2020 के प्रमोशन के अंक तैयार किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।

बी.एस–सी. के चार्ट मुद्रण हेतु Data Compile करते समय यह संज्ञान में आया है कि बी.एस–सी. प्रथम वर्ष 2020 के 831 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा हेतु वर्ष 2021 की परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु परीक्षाफल अनुत्तीर्ण रहा, अतः वह अभ्यर्थी बी.एस–सी. द्वितीय वर्ष की भूतपूर्व परीक्षा हेतु वर्ष 2022 में पुनः सम्मिलित हुए, ऐसे अभ्यर्थियों के कतिपय प्रश्नपत्रों के अंक वर्ष 2022 की परीक्षा से वर्ष 2021 की परीक्षा में अधिक है। उक्त अभ्यर्थियों के वर्तमान में बी.एस–सी. प्रथम वर्ष 2020 की परीक्षा हेतु प्रमोशन के अंक द्वितीय वर्ष 2022 की परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

अतः उपरोक्त अभ्यर्थियों के द्वितीय वर्ष 2021 में प्रश्नपत्रवार वर्ष 2022 के प्राप्तांकों से अधिक प्राप्तांकों के अनुसार वर्ष 2020 के प्रमोशन के अंक तैयार किये जाने एवं भविष्य में आने वाले ऐसे अन्य प्रकरणों में भी छात्रहित में छात्र/छात्रा दो वर्षों की परीक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ अंक हों, को प्रदान करते हुये परीक्षाफल घोषित किये जाने के सन्दर्भ में माननीय कुलपति जी के निर्णय के क्रम में माननीय परीक्षा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस सम्बन्ध में अधिष्ठाता, अकादमिक, सहायक कुलसचिव, परीक्षा (गोपनीय) तथा महाविद्यालय के प्राचार्य की त्रिसदस्यीय समिति इस आशय से गठित की गयी कि प्रचलित नियमावली/अध्यादेश का पुनरीक्षण करते हेतु किये जाने वाले परिवर्तन के संदर्भ में अपने सुझाव/आख्या को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.17

आगामी वार्षिक/सम–सेमेस्टर/एन.ई.पी.–2020 के सम–सेमेस्टर परीक्षा पैटर्न/समय पैटर्न/ अनुमानित समय सारणी के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त एन.ई.पी. की परीक्षाओं हेतु सब्जेक्टिव अथवा ऑब्जेक्टिव प्रश्नपत्र का पैटर्न निर्धारित किये जाने हेतु निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर की अध्यक्षता में समिति गठित कर प्राप्त आख्यानुसार पैटर्न निर्धारित किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

माननीय अध्यक्ष/कुलपति जी की अनुमति से अन्य मद

मद संख्या 2023.12.01 अ.म.

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र की भांति केन्द्र मानते हुये नोडल केन्द्र पर नियुक्त नोडल केन्द्र प्रभारी, सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी, समूह–ग, समूह–घ के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

अवगत कराना है कि परीक्षा समिति की 9वीं बैठक दिनांक 20.08.2022 के मद संख्या–2022.09.27 में सत्र 2021–22 की विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों को परीक्षा केन्द्र की भांति केन्द्र मानते हुये नोडल केन्द्र पर नियुक्त नोडल केन्द्र प्रभारी, सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी, समूह–ग एवं घ के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण हेतु वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक तथा निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम.वि0वि0 के नेतृत्व में समिति के गठन का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा आख्या अद्यतन अप्राप्त होने के कारण नोडल केन्द्रों का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जा पा रहा है।

सादर अवगत कराना है कि माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2023 को आहूत KUPA की बैठक में भी नोडल केन्द्रों के भुगतान का प्रकरण उठाया गया। माननीय कुलपति जी एवं परीक्षा नियन्त्रक के साथ वार्ता के कम में नोडल केन्द्रों के पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् है :–

क.सं.	नोडल केन्द्र से संलग्न परीक्षा केन्द्रों की संख्या	केन्द्राध्यक्ष की संख्या	सहायक केन्द्राध्यक्ष की संख्या	समूह–ग की संख्या	समूह–घ की संख्या
1.	01 से 10 तक	01	01	01	01
2.	11 से 20 तक	02	02	02	02
3.	20 से अधिक	03	03	03	03

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मिति अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.02 अ.म.

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित एल.एल.बी. पाठ्यकम के विलम्बित चल रहे सत्र को नियमित किये जाने हेतु समिति के गठन पर विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित एल.एल.बी. का पाठ्यकम विलम्बित चल रहा, जिसके नियमितीकरण हेतु समिति का अभिमत प्राप्त किया जाना समीचीन है, अतः माननीय परीक्षा समिति के समक्ष समिति के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सत्र के नियमितीकरण हेतु विधि महाविद्यालय के प्राचार्य, अधिष्ठाता, अकादमिक एवं कुलसचिव की त्रिसदस्यीय समिति गठित कर आख्या प्राप्त कर आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सर्वसम्मिति अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.03 अ.म.

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के पत्रों द्वारा रेमुनेरैशन के सम्बन्ध में विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डॉ0 भीमराव अम्बेदकर राजकीय महाविद्यालय, अनौगी, कन्नौज के प्राचार्य के पत्रांक 217–3/2022–23 दिनांक 06 फरवरी, 2023 एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, बिधूना, औरैया के प्राचार्य के पत्रांक–146/वि0वि0पत्रा0/2022–23 दिनांक 10.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परीक्षाओं के दौरान पर्याप्त फर्नीचर/स्थान/शिक्षक/कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण बाहर से फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिनके भुगतान में समस्या आती है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर विचारोपरान्त सर्वसम्मिति यह निर्णय लिया गया कि उक्त बिल को प्रथमबार प्रतिपूरित कर दिया जाये, परन्तु भविष्य के लिए इसे नजीर न माना जाये।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.04 अ.म.

विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षान्त समारोह में पदकतालिका समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी पदक प्राप्तकर्ताओं की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त पदक तालिका पर सर्वसम्मिति अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.05 अ.म.

सत्र 2021–22 के बी0ए0 प्रथम वर्ष एकल विषय (चित्रकला) में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के प्रकरण पर विचार।

विश्वविद्यालय की 10वीं परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.11.2023 के अन्य मद संख्या–2022.10.03 के कम में विश्वविद्यालय के पत्रांक सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./3434/2022 दिनांक 15.12.2022 द्वारा बी0ए0 प्रथम वर्ष एकल विषय (चित्रकला) में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के सन्दर्भ में गठित त्रिसदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 06.02.2023 द्वारा दिये गये अभिमत निम्नवत् हैं :–

"सत्र 2021–22 के **बी0ए0 प्रथम वर्ष एकल विषय (चित्रकला) में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के** प्रकरण गहन विचारोपरान्त समिति का मत है कि वर्तमान में दिनांक 20.01.2023 से संचालित परीक्षाओं के साथ उक्त छात्र/छात्राओं के प्रथम वर्ष की परीक्षा छात्रहित में करा ली जाये तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा सत्र 2022–23 की आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के साथ ही सम्पादित करा ली जाये।

उक्त हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय को निर्देशित किया जाये कि सन्दर्भित छात्र/छात्राओं का द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम उक्त अवधि में अतिरिक्त कक्षाऍ संचालित कर पूर्ण करा ली जाये।"

समिति के उक्त अभिमत को माननीय परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त त्रिसदस्यीय समिति की संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.06 अ.म.

पी–एच.डी. की मौखिक परीक्षा के उपरान्त 2023 के दीक्षान्त समारोह में डिग्री प्रदान किये जाने, प्री पी–एच.डी. परीक्षा में फेल छात्र/छात्राओं को शोध अध्यादेश 2021 के अनुसार शुल्क के साथ एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने, प्री पी–एच.डी. की मुख्य एवं मिड टर्म परीक्षाओं के पैटर्न, मुख्य परीक्षा के प्राश्निकों के भुगतान, प्रि पी–एच.डी. कोर्स वर्क के प्रमाणपत्र एवं अंकतालिका जारी करने तथा पी–एच.डी. के लिए 2015 में पंजीकृत छात्रों ने पी–एच.डी. अध्यादेश 2014 के अनुसार पहले ही अपने छह साल पूरे कर लिए हैं और यू.जी.सी. द्वारा दी गई 1.5 साल की अनुग्रह अवधि भी पूरी कर ली है, उन्हें पी–एच.डी. थीसिस जमा करने हेतु उन्हें अतिरिक्त समय सीमा प्रदान किये जाने पर विचार–

1. उन छात्रों की पी–एच.डी. डिग्री प्रदान करना जिन्होंने अपने पी–एच.डी. मौखिक परीक्षा का सफलतापूर्वक बचाव कर लिया है, उन्हें 2023 के दीक्षान्त समारोह में डिग्री प्रदान करने हेतु।
2. ऐसे छात्र जो पूर्व में प्री पी–एच.डी. परीक्षा में फेल हो गये थे, इन छात्रों को शोध अध्यादेश 2021 के अनुसार एक व अंतिम अवसर अगले वर्ष के प्री पी–एच.डी. के छात्रों को रू0 10,000/– के शुल्क के साथ एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।
3. प्री पी–एच.डी. की मुख्य एवं मिड टर्म परीक्षाएँ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ही संचालित की जाएं एवं मुख्य परीक्षा हेतु पारिश्रमिक विश्वविद्यालय के नियमानुसार Rs. 4,000/- प्रति QP दिये जाने हेतु प्रस्ताव।
4. प्री पी–एच.डी. कोर्स वर्क के प्रमाणपत्र एवं अंकतालिका को जारी करने हेतु।
5. पी–एच.डी. के लिए 2015 में पंजीकृत छात्रों ने पी–एच.डी. अध्यादेश 2014 के अनुसार पहले ही अपने छः साल पूर्ण कर लिए हैं और यू.जी.सी. द्वारा दी गई 1.5 साल की अनुग्रह अवधि भी पूर्ण कर ली है, उन्हें पी–एच.डी. थीसिस जमा करने हेतु कुलपति महोदय से case to case basis पर निर्णय लिया जायेगा कि उन्हें अतिरिक्त समय सीमा प्रदान की जा सकती है।

<u>निर्णय–</u>

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का विचारोपरान्त सर्वसम्मिति उपरोक्त बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिया गया–

(क) उन छात्रों की पी–एच.डी. डिग्री प्रदान करना जिन्होंने अपने पी–एच.डी. मौखिक परीक्षा का सफलतापूर्वक बचाव कर लिया है, उन्हें 2023 के दीक्षान्त समारोह में डिग्री प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) ऐसे छात्र जो पूर्व में प्री पी–एच.डी. परीक्षा में फेल हो गये थे, इन छात्रों को शोध अध्यादेश 2021 के अनुसार एक व अंतिम अवसर अगले वर्ष के प्री पी–एच.डी. के छात्रों को रू0 10,000/– के शुल्क के साथ एक अंतिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ग) प्री पी–एच.डी. की मुख्य एवं मिड टर्म परीक्षाएँ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ही संचालित की जाएं एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्राश्निकों को पारिश्रमिक विश्वविद्यालय के नियमानुसार Rs. 4,000/- प्रति QP दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

(घ) प्री पी–एच.डी. कोर्स वर्क के प्रमाणपत्र एवं अंकतालिका को भी प्रदान किया जायेगा।

(ड.) पी–एच.डी. के लिए 2015 में पंजीकृत छात्रों ने पी–एच.डी. अध्यादेश 2014 के अनुसार पहले ही अपने छः साल पूर्ण कर लिए हैं और यू.जी.सी. द्वारा दी गई 1.5 साल की अनुग्रह अवधि भी पूर्ण कर ली है, इस सम्बन्ध में पी–एच.डी. थीसिस जमा करने एवं अतिरिक्त समय सीमा प्रदान किये जाने हेतु case to case basis पर निर्णय लेने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही–डीन रिसर्च

मद संख्या 2023.12.07 अ.म.

परीक्षा समिति की 9वीं बैठक दिनांक 20.08.2022 के अन्य मद सख्या 2022.09.01 मे हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज कानपुर नगर के प्रवक्ता मोहम्मद आरिफ की बी0ए0 प्रथम वर्ष 1988–89, द्वितीय 1989–90 एवं तृतीय वर्ष 1990–91 के अंकपत्र एवं उपाधि के सत्यापन के सन्दर्भ में (डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय कूटा अध्यक्ष, डॉ0 आर0के0 द्विवेदी निदेशक सी0डी0सी0, डॉ0 सरोज द्विवेदी सिस्टम मैनेजर एवं डॉ0 समशुद्दीन, सी0एस0जे0एम0 वि0वि0 कानपुर) चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की दिनांक 06.02.2023 को सम्पन्न बैठक द्वारा मोहम्मद आरिफ की बी0ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षा के सन्दर्भ मे संस्तुति सहित आख्या मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से कूटा अध्यक्ष डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय द्वारा परीक्षा समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय–

उपरोक्त चार सदस्यीय समिति द्वारा मोहम्मद आरिफ को बी0ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षा 1989 की अंकतालिका निर्गत किये जाने की संतुति को परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही– सहायक कुलसचिव (छात्र सहायता प्रकोष्ठ)

मद संख्या 2023.12.08 अ.म.

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सी0ओ0ई0/140/2023, दिनांक–02.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की सत्र 2022–23 हेतु एन0ई0पी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम व तृतीय सेमेस्टर, परास्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं पूर्व से संचालित विषम सेमेस्टर से सम्बन्धित प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु संख्या 3 द्वारा निम्नलिखित निर्देश निर्गत किया गया था:–

"आन्तरिक परीक्षा हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध सम्बन्धित विषय के अनुमोदित शिक्षकों में से ही चयन किया जा सकेगा। यदि किन्ही कारणों से महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय का अनुमोदित शिक्षक नही है अथवा कम हैं तो ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुये परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।"

इस सम्बन्ध में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं से आपत्तियां प्राप्त हुयी हैं। वार्ता के क्रम में उपरोक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है:–

1. जिस महाविद्यालयों में अनुमोदित आन्तरिक परीक्षक उपलब्ध नहीं है, वह इसकी सूचना ई–मेल आई0डी0 "controllercsjmu@gmail.com" पर दिनांक–27.02.2023 तक सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्व मा0 कुलपति जी द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा सम्बद्धता के सम्बन्ध में भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिससे उपरोक्त की पुनरावृत्ति न हो।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड की उक्त धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किया जायेगा। छात्र संख्या कम होने के कारण अन्य महाविद्यालयों के साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन स्वयं किया जायेगा।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.12.09 अ.म.

पी0एम0यू0 सेल द्वारा प्राप्त वर्ष 2008 से 2022 तक पर्यावरण में अनुपस्थित/अनुतीर्ण स्नातक स्तर के सभी संकायो के 71929 छात्र/छात्राओं का विवरण इस आशय से उपलब्ध कराया गया है कि पर्यावरण विषय में अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त ही उपाधि निर्गत की जाती है। अतएव अर्ह(Qualifying) विषय पर्यावरण में अनुपस्थित/अनुतीर्ण छात्र/छात्राओं के हित में समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय–

परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2008 से 2022 तक पर्यावरण में अनुपस्थित/अनुतीर्ण स्नातक स्तर के सभी संकायो के छात्र/छात्राओं के हित के दृष्टिगत बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पर्यावरण विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान करते हुए उपाधि निर्गत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही– सहायक कुलसचिव (छात्र सहायता प्रकोष्ठ)

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष